

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक—
प्रेषक,

मु0अ0 (अ0उ0)4515 -01-16/2025 -146

/पटना, दिनांक-24/01/2025

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:-

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सामान्य मद में निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु होने वाले व्यय की राशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सामान्य मद के अधीन तालिका में अंकित संबंधित कार्य प्रमंडल के योजनाओं के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल सात वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित कुल राशि 05 करोड़ से 15 करोड़ तक की है, पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है। सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की जाती है:-

Sl No.	Division	Block	Project Id	Road Name	Length (in Km)	Cost of Initial Rectification, Minor improvement and Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 6-years Operation & Management (O&M) cost (in Lakhs)	Emergent & Price Adjustment @ 15% Cost (in lakhs)	Administrative Cost and Contingency Cost (@ 2.25% + 1%) (in lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	Areraj	Areraj	31708308056	Repair of Kat iya PWD Road to Malahi MBR	10.500	789.823	87.300	131.568	28.506	1037.20
2	Biharsharif	Bind	1262784828680	Repair of Road from NH-82 Masiya Kathiarahi to Barhog Village	8.350	584.047	120.659	105.706	22.903	833.315
3	Dalsinghsarai	Dalsinghsarai	6201044224538560	PWD Path Oriyama Dhaulathpur to Bombaya Haral Rampur Path Tak	6.100	456.858	46.073	58.268	12.625	573.824
4	Forbesganj	Bhargama	N412061002068	Manulapatti Rahria Chowk - Raghunathpur	11.100	1091.044	103.365	179.161	38.819	1412.389
5	Forbesganj	Bhargama	21206102034	L033- Haripur to Bannotra (VR10)	6.090	628.047	57.048	102.764	22.266	810.125
6	Forbesganj	Bhargama	21206102039	L042-PWD Road To Harijan Tola To Kusmaul (VR42)	5.180	544.499	54.805	89.896	19.476	708.676
7	Forbesganj	Bhargama	21206102026	L025- Jilebia More REO Road to Gamharla (VR14)	4.170	432.553	42.907	71.319	15.453	562.232
8	Forbesganj	Bhargama	21206112004	Do Muan PMGSY Road to Godh Tola	3.550	402.884	34.278	65.574	14.207	516.943
9	Forbesganj	Forbesganj	21206101613	PWD Road to Subhash Chowk	7.335	573.165	61.871	95.255	20.639	750.930
10	Forbesganj	Forbesganj	21206102034	L033-T06 harpur To Mehta Tola	5.023	548.058	50.400	89.769	19.451	707.678
11	Hamaui	Tharthari	1272854838439	Repair of Road From Milkpur of Hilsa Noorsaray To Narayanpur Bosdih	8.200	398.143	118.463	77.491	16.790	610.887
12	Jamui	Jamui	38411614232279	Bahrain PWD Road to Beldari Jamui Lakhisarai PWD Road via Tilakpur	6.000	414.778	67.557	72.35	15.675	570.360
13	Jamui	Khaira	38411624232820	Baribag To Mangobandar Via kewal Fariyalla	14.200	1034.271	138.548	175.923	38.116	1386.86
14	Lakhisarai	Barahiya	20804000843	NH-80 Pratappur to Manoharpur via Jakhor Path	6.300	445.383	49.385	74.215	16.080	585.06

15	Lakhisarai	Barahiya	N308040022009	Girdharpur to Ganga Surai NH80	4.800	380.298	43.159	63.519	13.761	500.737
16	Lakhisarai	Lakhisarai	N308040024116	Lakhisarai Sheikhpura Path Durdih More To Karaula	5.900	521.678	58.671	87.052	18.861	686.26
17	Phulparas	Ghoghardiha	31909913010	Lohiya Patti to N.H. Camp Via Mahadali Tol	3.300	528.069	43.65	85.758	18.581	676.058
18	Phulparas	Laukahi	31909908021	Kariout to Amchiri	9.160	765.523	81.793	127.097	27.538	1001.951
19	Phulparas	Laukahi	31909900812	Chharapatti to Laukahi Mahadev Math to Rajarampatti Narhaiya Road SH- 33.375 to 44.110 Km.	8.740	702.652	90.044	118.904	25.763	937.363
20	Phulparas	Laukahi	31909902042	L049- T03 to Harihara (VR34)	5.060	402.234	44.107	66.951	14.506	527.798
21	Rosera	Bithan	6201034304528350	Construction of Road from Pusho Saraswasti Chowk to Beloun Bhaya Barahi Belahi	9.10	728.118	67.540	93.42	20.242	909.32
22	Saharsa	Nauhatta	20904312019	Virjain to Bhelahi Border	9.150	958.640	100.806	158.917	34.432	1252.795
23	Saharsa	Nauhatta	20904302151	L023-Sahpur to Kasimpur Brahman tola (Track 5)	8.120	661.607	78.872	111.072	24.066	875.617
24	Samastipur	Khanpur	6201014364535570	L067-T02 To Hariabadchak (VR67)	12.000	850.769	88.304	140.861	30.519	1110.45
25	Samastipur	Samastipur	6201014384535610	Samastipur To Pusa Main Road Bela Se Kon Bajitpur Via Punash	8.500	1106.799	76.704	177.525	38.464	1399.49
26	Samastipur	Warisnagar	320101108083	Repair of Road from T02 Paroriya To Mohiddinpur	6.500	915.307	74.046	148.403	32.154	1169.910
27	Siwan-I	Barhariya	N514066024034	Bhaday To Bishunpur Road	11.000	882.630	133.211	152.380	33.010	1201.23
28	Siwan-I	Raghunathpur	31406608083	Repair of Road From Chakri To Potar	7.800	422.410	99.800	78.330	16.970	617.51
29	Siwan-I	Raghunathpur	31406602204	L045-Mitwar To Bahelia (VR5)	5.300	443.660	65.500	76.370	16.550	602.08
Total					216.528	18613.947	2178.866	3075.818	666.423	24535.054

- मांग संख्या-37-मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष -00, लघु शीर्ष -103-सामान्य मद के लिए योजना, उपशीर्ष -0121- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (सामान्य मद), विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड- 37-4515-00-103-0121, मूल बजट उपबंध-625 करोड़ रु० है। बिहार सरकार, वित्त विभाग के पत्रांक- 12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 14 के अनुसार प्राप्त मूल बजटीय उपबंध के तीन गुणा राशि (1875 करोड़ रुपये) में से वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए सृजित दायित्व की राशि (1499.75 करोड़ रुपये) घटाते हुये नई योजना की स्वीकृति दी जानी है। इसके अतिरिक्त लोक वित्त समिति द्वारा दिनांक 02.08.2024 को निर्धारित Bank of Sanction के आगे 1500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त छूट दी गई है, जिसके आलोक में कुल उपलब्ध राशि रु० 1875.25 करोड़ तक की योजनाओं की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष में दी जा सकती है। वर्णित पथ के नवीनीकरण/उन्नयन/ पुनर्निर्माण एवं कुल सात वर्षों तक संचालन एवं प्रबंधन की कुल राशि उपलब्ध Bank of Sanction की राशि के अन्तर्गत है।
- पथ के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु होने वाले व्यय का विकलन योजना शीर्ष 4515 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगा।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों को विशिष्ट के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- सारणी में अंकित योजनाओं के निविदा निष्पादनोपरांत कार्य का सम्पादन एवं क्रियान्वयन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

6. वर्णित योजना से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में रूटीन अनुरक्षण/त्रुटि निवारण अवधि से बाहर पथों को क्षेत्रीय कार्य प्रमंडलों द्वारा विभागीय MIS पर किये गये प्रविष्टि के आलोक में जो अद्यतन किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं है, को ग्रामीण पथ सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य कराया जाना है।
7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी०पी०आर० पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित योजना किसी अन्य योजना से स्वीकृत अथवा पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में नहीं हो।
10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं एवं Bidding Documents में निर्धारित नियमों के अनुसार Initial Rectification, Minor Improvement and Strengthening/Widening, Surface Renewal एवं Operation & Management का कार्य स-समय पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विभागीय MIS पर ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
15. सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर योजना के कार्यान्वयन के क्रम में Bidding Documents में निर्धारित निरीक्षण Schedules के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
16. वर्णित योजना का क्रियान्वयन निर्धारित मापदण्डों एवं समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार सम्पन्न कराया जाना संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल के जिम्मेवारी होगी।
17. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु०अ० (अ०उ०)4515 -01-16/2025 के पृ०-05 /टि० पर दिनांक-16.01.2025 को प्राप्त है।